Summary

On Minor Research Project

F.No.:MH-123/201022/XII/15-16/Cro/Gen; Dated 30 March 2017

Entitled

" Dalit samaj ke unyan me Mahatma Gandhi ka yogdan- Bharitya samvidhan par prabhav ke vishes sandarbh mein"

दलित पुनुरूद्वार के उन्नायकों में अन्य महापुरूषों के साथ महात्मा गांधी का नाम भी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरूद्व संघर्ष से लेकर भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति एवं उसके बाद अपनी मृत्यु तक विभिन्न समुदायों में सामाजिक एकता की स्थापना के पुरजोर प्रयास किये। साथ ही वंचित, शोषित,अश्पृश्य दलित जातियों के उन्नयन के प्रयास किये। वायकोम सत्याग्रह, मार्लोनिमटों सुधार, पुना. पैक्ट, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना, आदि अनेक आंदोलन में दलितों के प्रति गांधी जी की संवदेना एवं उनके उन्नयन के प्रयासों को देखा जा सकता है। यहॉ यह भी कहना न होगा कि दलित उद्वार के अन्य उन्नायक कहीं न कहीं उस तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था से शोषित हो प्रतिकार व प्रतिशोध के रूप में दलित सुधार एवं क्रांति प्रांरभ की परंतु गांधीजी ने एक मानव एवं मानवीय गरिमा के दृष्टिकोण से उनके प्रति अन्याय के विरोध व उनके पुनुरूद्वार के सहज एवं स्वाभाविक प्रयास किए।

भारतीय संविधन के मौलिक अधिकारों, नीति–निर्देशक तत्वों, मूल कर्तव्यों सहित सविधान के विभिन्न अन्य उपबंध एवं कमोबेश वर्तमान में केन्द्र व राज्यों द्वारा दलितों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं गांधीवादी विचार से प्रभावित है, और जिनके मूलाधार गांधी जी हैं।

आज आवश्यक है कि दलितों के अधिकारों एवं उनके उन्नयन हेतु गांधीवादी तत्वों पर ध्यान दिया जाय एवं संविधान द्वारा प्रदत उनके अधिकारों को और प्रभावी बनाने हेतु गांधीवादी दर्शन की और संभावनाओं की तलाश की जाय जिससे मानवीय गरिमा के उन उच्च आदर्शों की प्राप्ति संभव हो जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी।

वस्तुतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दलित का सामाजिक सरोकार द्वितीयक राजनीतिक लाभ प्राथमिक हो गया है, इसी कारण दलितों के उन्नयन के प्रयास से पूर्व, इनके वोट बैंक को ध्यान में रखा जाने लगा है। इस मनोवृत्ति में बदलाव हेतु हमें गांधीवादी दर्शन की ओर ही मुड़ना होगा। दलितों की चेतना का और विकास कर उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने से बचाना होगा। दलितों के उन्नयन हेतु उनमें आत्मसम्मान की भावना के विकास पर जोर देना होगा। इसी अनुक्रम मे उन्हें सविधान में अंर्तनिहित अधिकार, सुविधाओं, आरक्षण, शैक्षणिक एवं उनकी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, इसके साथ ही उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाना चाहिए। इससे वे स्वयं आगे बढ़कर उनका लाभ प्राप्त कर सकें। दलित उन्नयन को योजनाबध्द ढंग से समय–सीमा सुनिश्चित कर कार्यरूप देना होगा और अंततः दलित उन्नयन

हेतु स्वयं इन्हें एवं स्वयं समाज को आगे आना होगा जिसकी परिकल्पना एवं प्रयास महात्मा गांधी ने किया था।

दलितों के संदर्भ में भ्रामक धारणाओं एवं पूर्वग्रहों के स्पष्टीकरण हेतु हमें पृष्ठभुमि तैयार करना होगा। दलितो पर हुए विभिन्न अध्ययनों को यदि हम गांधीवादी चश्में से देखें तो इनकी गरिमा के सहज प्रयास संभव है। दलित अध्ययन को विशेषीकृत करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति–जनजाति बहुल दलित परिक्षेत्रों में सम्मिलित हैं, जहां गरीबी, अभाव एवं अनेक परंपरागत अंधविश्वास अभी भी प्रचलित है। ऐसे स्थानों के परीक्षण कर विकासात्मक कार्यो को संपादित करना होगा। लोक तांत्रिक देश में अधिकार संबंधी, संवैधानिक जागरूकता का स्थान सर्वोपरि होता है, इसी से अपने हक एवं सम्मान की प्राप्ति संभव है। इसके आलोक में वर्तमान परिवेशानुरूप दलितों के संवैधानिक अधिकार एंव उन्नयन संबंधी अध्ययन हेतु महात्मा गांधी को दलितों के पुनुरूद्वार के मुख्य उन्नयकों की पंक्ति में जगह देनी ही होगी।